न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

आवेदन सं. 258/2022

समक्ष अधिकारी –श्री विरेन्द्रसिंह II, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ.

प्रार्थी –

1. मारियत पुत्री समझू पत्नि विशाराम जाति मेगवाल, निवासी हरपालिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण –

1. केशरी पत्नि स्व. चिमनाराम पुत्री समझू जाति मेगवाल, निवासी पांधी का निवाण, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।
2. समझू पत्नि स्व. भानाराम जाति मेगवाल, निवासी हरपालिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार एवं उप पंजीयक सेड़वा।

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – श्री सारंगराम मेगवाल

विप्रार्थी वकील – श्री बाबुलाल विश्नोई

निर्णय

दिनांक :– 19/12/23

प्रार्थी का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि सरहद मौजा हरपालिया पटवार क्षेत्र हरपालिया तहसील सेड़वा में प्रार्थीया की पुश्तैनी खेत के नवीन खसरा संख्या 20 रकबा 3.9740 हैक्टर, खसरा संख्या 361/54 रकबा 3.7231 हैक्टर के आये हुए है। जिसमें प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा नोशनल शेयर कानूनी आता है। उक्त आराजी को वादपत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से उल्लेखित किया जाएगा। वादग्रस्त आराजी वादग्रस्त भुमि प्रार्थीया की पुश्तैनी भुमि है, जिसमें प्रार्थीया का जन्मसिद्व हक हकूक, कब्जा, रहवास है। उक्त वादग्रस्त आराजी का 1/2 हिस्सा प्रार्थीया की माता समझू ने शादी के वक्त कन्यादान में दी थी। वादग्रस्त आरी का मौके पर विधिवत बंटवाड़ा होना भी शेष है तथा जिससे कण–कण में प्रार्थीया का हक हकूक कब्जा पुश्तैनी रूप से स्थित है। वादग्रस्त प्रार्थीया की पुश्तैनी भुमि का अवैध व गैर कानूनी रूप से प्रार्थीया ने अपनी एक पुत्री केशरी के नाम दिनांक 12.07.2022 को अपने हिस्से से ज्यादा सम्पूर्ण भुमि को प्रार्थीया के पुश्तेनी जन्मसिद्व हक का दानपत्र कर दिया, जिसके विफल के रूप में विफल राशि प्राप्त नहीं की है, मौके पर कोई कब्जे का हस्तान्तरण नहीं हुआ है, जिससे दान करने का प्रार्थीया की माता विप्रार्थी समझू को कोई कानूनी अधिकार नही था जो बैचान/दान अवैध, विधि विरूद्व व शून्य प्रभावी है। वादग्रस्त भुमि में प्रार्थीया का मालिकाना हक व पुश्तैनी हक हकूक व जन्मसिद्व हक अधिकार का 1/2 हिस्सा नोश्नल शेयर का आया हुआ है। उसी

सार प्रार्थीया का मौके पर शान्तिपूर्ण पुश्तैनी कब्जा काश्त का आया हुआ है। लेकिन अवैध कानूनी रूप से वादग्रस्त सम्पूर्ण भुमि का दानपत्र विप्रार्थी समझू ने दिनांक 12.07.2022 को व गैर कानूनी रूप से कर दिया। जिसमें प्रार्थीया का अपनी माता के हिस्से में 1/2 हिस्सा पुश्तैनी हक, जन्मसिद्व अधिकार का था, जिससे हिस्से से ज्यादा सम्पूर्ण भुमि का बैचान/दानपत्र अवैध व गैर कानूनी किया, जिससे प्रार्थीया का पुश्तैनी हिस्सा दानपत्र करने का विप्रार्थी समझू को कानूनी अधिकार नहीं था। उसके बावजूद भी हिस्से से अधिक सम्पूर्ण भुमि का किये गये बैचान/दानपत्र से विप्रार्थी सं. 01 केशरी को कोई हक हकूक हासिल नहीं होने से किया गया बैचान अवैध, शून्य प्रभावी, प्रार्थीया के विरूद्व बेअसर करार देने योग्य है। प्रार्थीया अपने पुश्तैनी हिस्से की खातेदारी घोषणा पाने का कानूनी हकदार है। वादग्रस्त आराजी को विप्रार्थी समझू को प्रार्थीया की पुश्तैनी, जन्म सिद्व हक हकूक की भुमि को बेचान/दानपत्र करने की कोई जायज आवश्यकता नहीं थी तथा न ही वास्तविक रूप से पैसो की कोई लेन–देन हुई, न ही मौके पर कब्जे का कोई हस्तान्तरण हुआ। कब्जा आज भी मौके पर प्रार्थीया का पुश्तेनी रूप से स्थित है। उसके बावजूद भी कशरी के नाम दर्ज इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त आराजी को हिस्से से अधिक बेचान/दानपत्र गैर कानूनी कर प्रार्थीया को हमेशा के लिए अपने पुश्तैनी हको से वंचित कर दिया। जिससे ऐसा करने का विप्रार्थी समझू को कोई कानूनी अधिकार नहीं था। विप्रार्थी समझू अत्यन्त वृद्व अवस्था का 82 वर्षीय अनपढ महिला हैं जिनका विवेक डगमगाया हुआ है। जिसके सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। व्रिपाथ्री केशरी के जेठ खुशाल पुर्व सरपंच है, जो बहुत चालाक व चतुर व्यक्ति है जिसका नाजायज फायदा उठाकर समझू को बहला फुसलाकर वादग्रस्त भुमि के लोन भरने का कहकर अवेध व गैर कानूनी रूप से प्रार्थीया की पुश्तैनी हिस्सा आराजी का दानपत्र एक पुत्री के नाम गैर कानूनी करवा दिया, जबकि वास्तविक रूप से मौके पर कब्जे का हस्तान्तरण नहीं हुआ, प्रार्थीया के जन्मसिद्व हक में नामान्तरण दर्ज करते वक्त प्रार्थीया को बिना सुनवाई का अवसर दिये विप्रार्थी केशरी के नाम गैर कानूनी इन्द्राज कर दिया, जिससे ऐसे इन्द्राज आपस्तनीय योग्य है तथा प्रार्थीया अपने पुश्तैनी हको का खातेदारी घोषणा करवाने के हकदार है। तथा प्रार्थीया अपने पुश्तेन हिस्से में विप्रार्थीगण दखलन्दाजी कर वेदखल करना चाहते है तथा आगे से आगे भुमि बैचान, रहन, तर्क वसीयत करना चाहते है, मोके पर कब्जा करना चाहते है, निर्माण करना चाहते है। जिससे प्रार्थीया के हक खतरे में पड़ गये है, जिससे ऐसा करने का इन्हे कानूनी अधिकार नहीं होने से दावा हाजा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जा चुका है, जिसमें प्रार्थीगण की कानूनी जीत सुनिश्चित है। वादग्रस्त आराजी का मोके पर प्रार्थीया का शांतिपूर्ण निर्वाध रूप से कब्जाकाश्त चला आ रहा है। विप्रार्थीगण ने प्रार्थीया को ऐलानिया धमकिया दी गई है कि वादग्रस्त आराजी का आगे बैचान करने सोदा तय हो गया है।

— पुश्तैनी भुमि का अवैध व गैर कानूनी रूप से प्रार्थीया ने

क्त भुमि पर कब्जा खाली कर दो। अन्यथा आपको जबरन बेदखल कर देगे। ऐसी सुरत र्थीया को अपनी पुश्तैनी भुमि के हक हिस्से कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी विप्रार्थीगण न तो करें एवं न ही अन्य किसी से करावे। अजनबी व्यक्ति जबरन प्रवेश न करे। उक्त भुमि का बेचान रहन, तर्क, वसीयत आदि नहीं करे। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पानें की प्रार्थीया हकदार होने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। उपरोक्तानुसार प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में है। तथा यदि अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थीया को वादग्रस्त पुश्तैनी आराजी से बेदखल कर भुमि आगे बेचान, रहन, तर्क दान आदि कर देंगे तो वाद की बहुलताएं बढेंगी, कानूनी जटिलताएं बढेंगी, प्रार्थीया को तरह–तरह की मुकदमेंबाजी में उलझना पड़ेगा। प्रार्थीया हमेशा के लिए अपने जन्मसिद्व हक से वंचित रहा जाएगी। प्रार्थीया को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी, जिसका आंकलन कतई द्रव्यों में संभव नहीं है। सरहद मौजा हरपालिया, पटवार क्षेत्र हरपालिया के खेत खसरा संख्या 20 रकबा 3.9740 हैक्टर, खसरा संख्या 361/54 रकबा 3.7231 हैक्टर भुमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी नहीं करे एवं न ही करावें। वादग्रस्त आराजी को आगे बेचान, रहन तर्क, दान वसीयत, आदि नहीं करें तथा आराजी में अवैध गैरकानूनी बैचान इत्यादि नहीं करे तथा अप्रार्थी संख्या 03 वादग्रस्त आराजी से संबंधित किसी भी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन नहीं करे। अप्रार्थीगण मौके एवं राजस्व रैकर्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तातरण तक बनाये रखे।

प्रार्थी वकील द्वारा आवेदन पेश कर इस न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश 258/2022 दिनांक 10.08.2023 मौजा हरपालिया के खसरा संख्या 20 रकबा 3.9740 हैक्टर व खसरा संख्या 361/54 रकबा 3.7231 हैक्टर भूमि में विप्रार्थीगण प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करें व न ही प्रार्थी के कब्जे–काश्त में दखलदांजी स्वयं करे एवं न ही किसी के मार्फत करवायें तथा न ही उक्त भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार की हस्तान्तरण करे के संबंध में न्यायालय द्वारा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति का स्थगन आदेश जारी किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। विप्रार्थीगण वकील ने उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनने हेतु निवेदन किया। विप्रार्थीगण वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र का जवाब विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से निम्नानुसार है– ग्राम हरपालिया के खसरा संख्या 20 रकवा 3.9740 हैक्टर व खसरा संख्या 361/54 रकबा 3.7231 हैक्टर जो विप्रार्थीनी संख्या 2 को राज सत्कार द्वारा भुमिहीन होने से 1978 में आवंटित किया गया है, जो पैतृक भुमि नहीं है व नहीं प्रार्थीनी को कन्यादान में देने के बात निराधार है, उक्त भुमि पर प्रार्थीनी का कोई कब्जा काश्त नहीं है, उक्त भुमि के आवंटन से पूर्व प्रार्थीनी की शादी कर दी गयी थी। उक्त भुमि विप्रार्थीगण के खातेदारी व हक हकूक की है, प्रार्थीनी का कोई खातेदारी में हिस्सा नहीं है। इस

से बंटवाडे का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। वादग्रस्त खसरा विप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी व कब्जे काश्त का है। जिसमें विप्रार्थी किसी भी तरह से बैचान हस्तान्तरण कर सकती इसमें प्रार्थीनी का कोई हक नहीं है। उक्त वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीनी का कोई कब्जा काश्त नहीं है व न ही खातेदारी में नाम है, प्रार्थीनी विप्रार्थीगण को परेशान करने क नियत से वाद प्रस्तुत किया है। जिसमें सफलत मिलने की कोई सम्भावना नहीं है। उक्त वादग्रस्त भुमि विप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की है इस कारण से विप्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया कोई मामला नही बनता है। व न ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीनी के पक्ष में है, व न ही प्रार्थीनी को इस विप्रार्थीगण की खातेदारी खेत से अपूरणीय क्षति हो रही है। विप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण वकील द्वारा एकतरफा स्थगन आदेश की आड में विप्रार्थीगण को बेवजह परेशान किया गया है।

अतः न्यायहित में प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण के विरूद्व लिया गया एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी एकतरफा स्थगन आदेश 258/2022 दिनांक 10.08.2022 के रेकर्ड के स्थगन को निरस्त किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 19/12/23 .....को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

(विरेन्द्रसिंह II RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेडवा